



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब० / 490 / 2023

दिनांक: 22/09/2023

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर हेतु नवीन महाविद्यालय/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषय/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्ताव हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। (शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी पत्र के साथ संलग्न है) शासन द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2023 से पोर्टल (<http://henoc.upsdc.gov.in>) खोल दिया गया है, जिसपर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर, 2023 है।

अतः उक्त से अवगत होते हुये नवीन महाविद्यालय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय/पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन मान्य नहीं होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक कुलसचिव कुलपति-सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 सितंबर, 2023

विषय:-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 15 सितंबर से 15 दिसम्बर, 2023 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से 20 जनवरी, 2024 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 फरवरी, 2024 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।

6.	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 मार्च, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदुपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 अप्रैल, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 मई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2024 तक।

3- सामान्य निर्देश -

(i) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :-

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(ii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :-

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाये, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उक्त निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त समझा जा सकता है।
- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।

(iii) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :-

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।

- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
 - प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यथावश्यकता निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जा सकता है।
- 4- उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-30500/सत्तर-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।